तार "आकाशवाणी"

Telegram: "AKASHVANI"

भारत सरकार

आ का श वा णी

GOVERNMENT OF INDIA

ALL INDIA RADIO

वार्ता/लघु कथा शाखा

(Talks/Short Story Branch)

आकाशवाणी–कार्यक्रम–1

(पैरा 5-10-11/5-10-15 देखिए)

AIR–P–1

(See paragraph 5-10-11/5-10-15)

SCIENCE CELL

सेवा में, To,

~~Shri~~ Dr Niranjan Joshi,
Centre for Theoretical
studies, Indian Institute
of Science, Bangalore-560012.

सं. No. Ban.SC(3)/80-P.

दिनांक Date 9.5.80 19

महोदय/महोदया, Dear Sir/Madam,

इस पत्र के पीछे छपी शर्तों पर हम नीचे लिखे विषय, दिनांक और समय पर आपकी वार्ता/लघु कथा सहर्ष प्रसारित करेंगे। कृपया संलग्न पुष्टिपत्र पर हस्ताक्षर कर के हमको लौटती डाक से भेज दीजिए। इसके लिए हम आपके आभारी होंगे।

We shall be pleased to broadcast your talk(s)/short story on the subject, date and time detailed below, upon the conditions printed overleaf. We shall be obliged if you could kindly sign and return the attached confirmation sheet not later than Immediately

शीर्षक
*TITLE To interview Dr.Samir Bramhachary Deciplent of Young scientists Award.

दिनांक
Date(s) 1.6.80 (Recording on 27.5.80 at 9.30 AM)

प्रसारण का समय
Time of Broadcast 8.30 A.M.

प्रसारण की अवधि
Duration 14 mts.

प्रसारण का स्थान
Place of Broadcast AIR BANGALORE

शुल्क रु.
Fee Rs.50/-(Rupees Fifty only).

अनुवर्ती प्रसारण शुल्क
Subsequent Broadcast Fee Nil.

(इस पत्र के नीचे छपी शर्तों के खण्ड 4 (क)/4 (ख) के अध्यधीन)

(Subject to Clause 4(a)/4(b) of conditions printed below)

हमारा विशेष निवेदन यह है कि आप कृपया इस शर्त का पालन करके हमारी सहायता करें कि प्रसारण के लिए जो तारीख नियत की गई है उससे कम से कम दस दिन पहले वार्ता/लघुकथा की पाण्डुलिपि केन्द्र निदेशक के पास पहुंच जाए। इस शर्त का पालन न होने पर केन्द्र के सामान्य कार्यक्रम में गंभीर अवरोध पैदा हो जाता है।

We would particularly ask you to assist us by complying with the condition that the manuscript of the talk/short story should be in the hands of the Station Director not less than ten days before the date fixed for the broadcast. The normal routine of the Station is seriously hampered if this condition is not observed.

स्टैम्प शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

The stamp Duty will be borne by the Government.

HRS

भवदीय,
Yours faithfully,
[signature]
कृते केन्द्र निदेशक
For Station Director
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओरसे
For and on behalf of President of India

---

*लघुकथा के मामले में लेखक उसका शीर्षक यहाँ भरे।

In case of short story, the title of the short story will be filled in by the author.

आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और विदेश प्रसारण प्रभाग द्वारा वार्ताओं/लघुकथाओं के प्रसारणार्थ अनुबंध करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला फ़ार्म।

1. यदि नियत तारीख तक हस्ताक्षर किया हुआ स्वीकृति-पत्र प्राप्त न हुआ तो आकाशवाणी को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्ताव वापस ले ले।

2. अनुबंध इस शर्त के अध्यधीन है कि प्रसारण के लिए नियत तारीख से कम से कम दस दिन पहले अंतिम पांडुलिपि (यों) को केन्द्र निदेशक की स्वीकृति मिल जाए। स्वीकृति हो जाने पर पांडुलिपि (यां) आकाशवाणी की संपत्ति होगी/होंगी।

3. जिस रूप में वार्ता (एं)/लघुकथा (एं) प्रसारित होंगी वह आकाशवाणी द्वारा स्वीकृत पांडुलिपि के अनुरूप होंगी।

4. अनुबंध शुल्क में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में और विदेश प्रसारण सेवा के मामले में विदेशी भाषाओं में प्रसारण के अधिकार शामिल हैं और यह अधिकार भी शामिल है कि आकाशवाणी के स्वदेश प्रसारण कार्यक्रमों विदेश प्रसारण कार्यक्रमों में साथ-साथ अथवा अनुवर्ती प्रसारणों के लिए अथवा किसी अन्य प्रसारण संगठन द्वारा वार्ताओं/लघुकथाओं की यांत्रिक पुनरावृत्ति की जा सकेगी। वार्ता (ओं) के लिए दिए जाने वाले शुल्क में यह अनन्य अधिकार भी शामिल होगा कि वार्ता (ओं) के प्रथम प्रसारण की तारीख के तुरन्त बाद तीन महीने तक या तो उसके (उनके) किसी अंश को अथवा समस्त वार्ता को अथवा उसके संक्षिप्त रूप या अनुवाद को भारत में वितरणार्थ अंग्रेजी में या किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित किया जा सकेगा अथवा प्रकाशित करने की अनुमति दी जा सकेगी। तीन महीने की उक्त अवधि के बीत जानेपर प्रकाशनाधिकार लेखकको इस शर्त के साथ वापस मिल जायगा कि लेखक के साथ-साथ आकाशवाणी को भी यह अधिकार रहेगा कि वह अपने संकलनों में और/या कार्यक्रम पत्रिकाओं में और संबद्ध प्रयोजनों के लिए उक्त वार्ताओं अथवा उदाहरणों/सारांश को प्रकाशित कर सके इस शुल्क में यह समवर्ती अधिकार भी शामिल होगा कि वार्ता (ओं) के किसी अंश अथवा समस्त वार्ता को विदेशों में वितरणार्थ अंग्रेजी में या किसी भी विदेशी भाषा में प्रकाशित किया जा सकेगा या प्रकाशित करने की अनुमति दी जा सकेगी।

(क) यदि कोई वार्ता/लघुकथा, चाहे मूलतः उसका अनुबंध विदेश प्रसारण के लिए हुआ हो या स्वदेश प्रसारण के लिए, स्वदेश कार्यक्रमों में पुनः प्रसारित की जाएगी, तो अनुवर्ती प्रसारण के लिए वार्ताकार/लेखक को अनुबंध में विनिर्दिष्ट पुनः प्रसारण शुल्क अदा किया जाएगा। अकाशवाणी के एक से अधिक प्रेषित्रों से एक साथ होने वाले प्रसारणों को इस उद्देश्य के लिए एक ही प्रसारण गिना जाएगा।

(ख) यदि कोई वार्ता/लघुकथा, चाहे मूलतः उसका अनुबंध विदेश प्रसारण के लिए हुआ हो या स्वदेश प्रसारण के लिए, विदेश प्रसारण सेवा में मूल रूप में अथवा किसी भारतीय या भारतीयेतर भाषा में पुनः प्रसारित की जाएगी तो पुनः प्रसारण हेतु अनुबंधित शुल्क वार्ताकार/कहानीकार को अदा किया जाएगा बशर्ते कि यह पुनः प्रसारण विदेश कार्यक्रमों अथवा स्वदेश कार्यक्रमों में उक्त, वार्ता/लघुकथा के प्रथम प्रसारण के 30 दिन पश्चात् किया गया हो। आकाशवाणी के एक से अधिक प्रेषित्रों से एक साथ होने वाले प्रसारणों को इस उद्देश्य के लिए एक ही प्रसारण गिना जाएगा।

5. वार्ताकार/लेखक एतद्वारा यह प्रमाणित करता है कि वह उक्त वार्ता/लघुकथा में प्रतिलिप्योधिकार का स्वामी है और उसमें उसका प्रतिलिप्याधिकार अभी मौजूद है और एतद्वारा मंजूर किए गए अधिकारों में किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कम्पनी का साझा नहीं है और उक्त वार्ता/लघुकथा (न ही इसका कोई भाग) किसी भी प्रकार से विश्व के किसी मौजूदा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं है और वार्ताकार/लेखक यह बचन देता है कि यदि कोई विपरित दावे या मांगें हुई तो वह आकाशवाणी को हर्जाना भरेगा।

6. आकाशवाणी को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंध को किसी भी समय समाप्त कर दे बशर्ते कि अनुबंध समाप्त करने की तारीख को जितना कार्य पहले हो चुका होगा उसके अनुपात में शुल्क की अदायगी करनी होगी अथवा कोई वैकल्पिक आबन्ध देना होगा जिसका निर्णय स्वयं अकाशवाणी ही करेगी। यदि बीमारी की वजह से या अन्य किसी कारण से वार्ताकार/लेखक वार्ता/लघुकथा को स्वयं प्रसारित न कर सके, तो आकाशवाणी वार्ता/लघुवार्ता को स्वयं प्रसारित कर सकती है बशर्ते कि वार्ताकार/लेखक को उस अनुपात में शुल्क अदा करना होगा जिसका निर्णय आकाशवाणी करेगी।

7. यदि वार्ताकार/लेखक सरकारी कर्मचारी हुआ तो उसकी वार्ता/लघुकथा का प्रसारण और उसको शुल्क का भुगतान उन नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा जो उक्त वार्ता/लघुकथा के प्रसारण के समय ऐसे प्रसारणों पर लागू होते होंगे।

8. वार्ताकार/लेखक के साथ यह करार उसके इस अभिवेदन के आधार पर किया जा रहा है कि एतद्धीन जिन अधिकारों को प्रदत्त करना तात्पर्यित है वैसा करने का उसे अच्छा अधिकार, पूर्ण शक्ति और आत्यन्तिक प्राधिकार है और उसने उन अधिकारों का कोई और व्योहार नहीं किया है।

9. लेखक एतद्वारा यह प्रमाणित करता है कि भारत में किसी भी अन्य प्रसारण केन्द्र से यह कहानी, किसी भिन्न शीर्षक से अथवा अन्य किसी तरह से न तो प्रसारित हुई है और न प्रसारित होने के लिए स्वीकृत हुई है।